संख्या 398/XLIII(1)-13-38(11)02

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

निर्गत
16/05/13

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सुराज, भ्रष्टाचार, उन्मूलन एवं जन सेवा (सतर्कता) अनुभाग देहरादूनः दिनांक 16 मई, 2013

विषयः –सतर्कता समिति का गठन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे लोक सेवकों जिनके नियुक्ति प्राधिकारी शासन है, के सन्दर्भ में सतर्कता जांच संस्थित करने एवं अभियोजन की अनुमति प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सम्यक निर्णय लेने से पूर्व परीक्षण एवं परामर्श की प्रकिया को बेहतर करने हेतु 'राज्य सतर्कता समिति का गठन का निर्णय लिया गया है।'

2– 'राज्य सतर्कता समिति' का स्वरूप निम्नवत् होगाः–

(1)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह	सदस्य
(4)	प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव/सचिव, सतर्कता	सदस्य/संयोजक

नोटः– आवश्यकतानुसार महानिदेशक, सतर्कता अथवा अन्य किसी विभागीय अधिकारी को 'विशेष आमंत्रित सदस्य' के रूप में सतर्कता समिति की बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

3– उक्त 'राज्य सतर्कता समिति' के निम्न कर्तव्य होंगेः–

(क) प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर सतर्कता अधिष्ठान को गोपनीय/खुली जांच अभिर्दिष्ट करने के बिन्दु पर विचार कर संस्तुति देना।

(ख) सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति के आधार पर अभियोजन चलाये जाने की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर संस्तुति देना।

(ग) सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रदत्त संस्तुतियों पर विचार कर अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में संस्तुति देना।

4– इस विषय पर पूर्व जारी शासनादेश इस शासनादेश से असंगति की सीमा तक अवक्रमित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव